कार्यवाही विवरण

मेसर्स भिनपुरी लाईम स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.–श्री कौशल चंद्रवंशी), ग्राम–भिनपुरी, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा कमांक–7, 8/1, 10/1 एवं 10/4, कुल क्षेत्रफल–1.83 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता–57,750 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 18.05.2023, समय दोपहर 12:30 बजे, स्थान–ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–राम्हेपुर, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स भिनपुरी लाईम स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.–श्री कौशल चंद्रवंशी), ग्राम–भिनपुरी, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा कमांक–7, 8/1, 10/1 एवं 10/4, कुल क्षेत्रफल–1.83 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता–57,750 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली, दिनांक 14.04.2023 एवं दैनिक समाचार पत्र, नई दुनिया, संपूर्ण छत्तीसगढ़, दिनांक 14.04.2023 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 18.05.2023 समय दोपहर 12:30 बजे स्थान–ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–राम्हेपुर, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जनसामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–कबीरधाम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–कबीरधाम, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–कबीरधाम, सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–कबीरधाम एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन,सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां लोक

सुनवाई की सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–कबीरधाम में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–कबीरधाम में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई निर्धारित तिथि दिनांक 18.05.2023 को दोपहर 12:30 बजे अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–कबीरधाम की अध्यक्षता में स्थान– ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–राम्हेपुर, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् उक्त परियोजना की ओर से उद्योग प्रतिनिधि श्री कौशल चंद्रवंशी एवं कंसलटेन्ट श्री बी0 डी0 पाण्डे, अल्ट्राटेक लेबोरेटरीज, थाणे (महाराष्ट्र) द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

तदोपरांत अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–कबीरधाम द्वारा निर्धारित तिथि समय एवं स्थान पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. श्री राजेश वर्मा, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।
   - खदान में आपत्ति है। खदान नही खुलना चाहिए।

2. श्री सदाराम, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।
   - बोर ब्लास्टिंग नही होना चाहिए तो हमें कोई आपत्ति नही है।

3. श्री शोभित साहू, ग्राम–राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम।
   - ब्लास्टिंग कंट्रोल में रहना चाहिए।

4. श्री रवि वर्मा, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान खुलने के लिये आपत्ति है। धूल मिट्टी आता है। खदान नही खुलना चाहिए।

5. श्री भरत वर्मा, सोसायटी अध्यक्ष, ग्राम–राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान सभी शर्तो का पालन करेगा तो हमें कोई आपत्ति नही है।

6. श्री मोहन वर्मा, ग्राम–भिनपुरी जिला–कबीरधाम।

➢ खदान खुलने में कोई आपत्ति नही है। छोटा ब्लोस्टिंग हो। नियमित रूप से जल छिड़काव हो। धूल मिट्टी न उड़े।

7. श्री मधंघी लाल वर्मा, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान सभी शर्तो का पालन करेगा तो हमें कोई आपत्ति नही है।

8. श्री लखन सिंह वर्मा, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।

➢ प्रस्तावित खदान के बाजू में मेरा खेत है। भविष्य में अपना खेत बेचूंगा और व्यापार मिलेगा।

9. श्री मनहरण ध्रर्वे, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान से कोई आपत्ति नही है। सबकी रोजी–रोटी चले।

10. श्री जीवन लाल पटेल, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।

➢ ये खदान चलना चाहिए।

11. श्री मुन्ना ध्रुवे, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।

➢ मैं खदान में 20 साल से काम कर रहा हूं। वो हमारा रोजी–रोटी है। खदान चलना चाहिए।

12. श्री रोहित पटेल, ग्राम–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम।

➢ मैं इस खदान में कंप्यूटर आपरेटर हूं। ये लोगों की रोजी रोटी का माध्यम है। इससे रोजी रोटी चलता हैं

13. श्री सोनू शुक्ला, ग्राम–लोहारा, जिला–कबीरधाम।

➢ मैं इस खदान में काम करता हूं। ये लोगों की रोजी रोटी का माध्यम है। इससे रोजी रोटी चलता है।

14. श्री परस पटेल, लोहारा, जिला–कबीरधाम।

➢ धूल मिट्टी नही होना चाहिए। पानी डालना चाहिए।

15. श्री ब्रम्हा पटेल, नवापारा लोहारा, जिला–कबीरधाम।

➢ धूल मिट्टी नही होना चाहिए। पानी डालना चाहिए।

16. श्री मानसिंग पटेल, नवापारा सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम।

➢ खदान से कोई आपत्ति नही है।

17. श्री धनीराम साहू, पेन्डारवानी, जिला–कबीरधाम।
> मैं यहां 7 साल से काम कर रहा हूं। मेरा रोजी रोटी चल रहा है मुझे कोई आपत्ति नही है।

18. श्री विष्णु पटेल, जामगांव, जिला–कबीरधाम।
> खदान चलना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नही है।

19. श्री मोरज मेरावी, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।
> खदान से आपत्ति है। बहुत ज्यादा धूल आता है।

20. श्री योगेश यादव, ग्राम– राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम।
> खदान से कोई आपत्ति नही है।

21. श्री प्रहलाल वर्मा, ग्राम–झिंझरी, जिला–कबीरधाम।
> खदान नहीं खुलना चाहिए। इससे धूल उड़ता है।

22. श्री पारस अग्रवाल, ग्राम–लोहारा, जिला–कबीरधाम।
> मैं गांव वालों के तरफ से उनके विचार एवं हस्ताक्षर लिया गया है। उद्योग धन्धे से ही सबको रोजगार मिलता है। कई राज्यों में लोग जा जाकर परेशान होते हैं, बंधक बनाये जाते हैं। मैं उद्योग संचालन से अनुरोध करूंगा कि छोटी ब्लास्टिंग करें। सतत् रूप से जल का छिड़काव किया जाये। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग 20 लोगों का पलायन नही होगा। मैं इसका समर्थन करता हू।

23. श्री कृष्णा साहू, ग्राम– राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम।
> लोगों को रोजगार मिलेगा, यह ठीक है। लोहारा तक सड़क मात्र बनता है लेकिन गाड़ियों ओव्हरलोड की वजह से दुर्घटना होती है। सड़क कब तक सुरक्षित रहेगा। रोड सुरक्षित रहेगा इसकी गारण्टी उद्योग संचालक ले।

24. श्री विष्णु राम पटेल, ग्राम–सोनपुरी, जिला–कबीरधाम।
> मैं कृष्णा भैया के बात से सहमत हूं

25. श्री प्रहलाद मेरावी, वार्ड पंच, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।
> खदान का धूल बहुत दूर तक आता है। यह खदान नही खुलना चाहिए। हम खेत में काम करने जाते हैं तो धूल मिट्टी से सने हुए आते हैं। हमको खेत में काम करने में बहुत दिक्कत होता है। समीप लगे हुए खेत में खदान के पत्थर आते हैं।

26. श्री सीता मण्डावी, ग्राम–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम।
> छोटे छोटे खदान खुलना चाहिए। इससे आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है। मैं खदान का समर्थन करता हूं।

27. श्री सौरभ यादव, ग्राम–लोहारा, जिला–कबीरधाम।
- मैं खदान का समर्थन करता हूं।

28. श्री अमित अग्रवाल, ग्राम–उड़ीयाखुर्द, जिला–कबीरधाम।
- मैं इस खदान के समर्थन में हूं। इससे लोगों को रोजी मिलती है।

29. श्री धनु, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।
- खदान से आपत्ति है।

30. श्री धनराज, ग्राम–कटईपारा, सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम।
- खदान से कोई आपत्ति नही है।

31. श्री नारद पटेल, ग्राम–लोहारा, जिला–कबीरधाम।
- खदान से कोई आपत्ति नही है।

32. श्री विनोद मरकाम, सरपंच, ग्राम पंचायत राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम।
- इस खदान में कई लोग काम करते हैं। कुछ लोग शहर जाकर काम करते हैं। वहां बंधक बनाये जाते हैं लेकिन यहां काम करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। बोर ब्लास्टिंग की जगह छोटा ब्लास्टिंग होना चाहिए।

33. श्री अनिल ध्रुवे, ग्राम–भिनपुरी, जिला–कबीरधाम।
- खदान में आपत्ति है। इससे गांव को बहुत आपत्ति होता है। धूल उड़ने से हमारे फसल को बहुत नुकसान होता है।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद क्षेत्रीय अधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब क्षेत्रीय अधिकारी, द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि श्री कौशल चंद्रवंशी एवं कंसलटेन्ट श्री बी0डी0 पाण्डे, अल्ट्राटेक लेबोरेटरीज, थाणे द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

- योग्यता एवं अनुभव के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा।
- डस्ट उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा।
- लगभग 835 नग वृक्षारोपण किया जायेगा।

- वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित ब्लास्टिंग किया जायेगा।
- आसपास के क्षेत्रों में जल, वायु, मृदा की गुणवत्ता का मापन किया जायेगा।
- कच्चे पदार्थ आदि का परिवहन तारपोलिन कव्हर्ड वाहनों के माध्यम से किया जायेगा।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित मे 17 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान कुल 33 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से कुल 52 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–कबीरधाम द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 02:25 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

Divyasapote

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

अतिरिक्त कलेक्टर
जिला–कबीरधाम